**न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, जनपद जालौन।**

मुकदमा सं0—527 / 2019

सरकार बनाम् गगन सेन उर्फ छोटू

मु0अ0सं0—421 / 2019

धारा—379,411 भा0द0सं0

थाना—कोंच जिला जालौन।

## <u>आरोप</u>

मैं, पलाश गांगुली, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप अभियुक्त **गगन सेन उर्फ छोटू उर्फ चतुर्भुज सेन** को एतद्द्वारा निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ:—

1— यह कि दिनांक 31.10.2019 को समय 13.00 बजे, स्थान इण्डस टावर, अंतर्गत थाना कोंच जिला जालौन से आपने वादी मुकदमा की मोटरसाईकिल सं0 यू0पी0 92 एस. 4572 चोरी किया। इस प्रकार आपने भा0द0सं0 की धारा— 379 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2— यह कि दिनांक 03.11.2019 को समय 10.05 बजे सुबह, स्थान दौहर चौराहा, अंतर्गत थाना कोंच जिला जालौन में आपके पास से वादी मुकदमा की उपरोक्त चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0द0सं0 की धारा—411 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक—02.09.2021

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।

अभियुक्त को आरोपों को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक—02.09.2021

(पलाश गांगुली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच
जनपद जालौन।